कार्यालय – उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र, बुलन्दशहर।
पन्नीनगर विकास होलीडे होम के पीछे, बुलन्दशहर।
दूरभाष सं0– 05732–235647 Email- gmdicbsr@gmail.com

पत्रांक 6068 /जिउएउप्रोके–बु0शहर/स्टाप छूट/2017–18/दिनांक: 28-2-2018

क्षेत्रीय प्रबन्धक,
उ0प्र0 राज्य औद्योगिक विकास निगम लि0,
सी–2, चर्तुथतल, महालक्ष्मी माल,
आरडीसी, राजनगर, गाजियाबाद।

कृपया अपने पत्रांक 11081, दिनांक 26.02.2018 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा आपने औद्योगिक क्षेत्र मंसूरी गुलावठी रोड के हस्तांतरी को पट्टा निष्पादन हेतु शासनादेश 12.02.18 के पैरा 01 में स्पष्ट उल्लिखित है कि 50 प्रतिशत छूट केवल प्रथम केता को प्रदान की जानी है के सम्बंध में जानकारी चाही गयी है कि यूपीएसआईडीसी के द्वारा हस्तांतरित भूखण्डों पर भी क्या छूट मान्य रहेगी या फिर केवल उक्त छूट यूपीएसआईडीसी के मूल आवंटियों को ही दी जानी है।

शासनादेश संख्या–04/2018/180/94–स्टा0नि0–2–2018–700(253)/17, दिनांक 12.02.18 में औ0निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2017 के प्रस्तर 3.2.3.4 में जो 50 प्रतिशत छूट का उल्लेख आपके पत्र में किया गया है वह निजी औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने वाले उद्यमियों पर लागू होगा। आपके क्षेत्र से सम्बंधित औ0निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2017 का प्रस्तर 5.1 है जिसमें गाजियाबाद एवं नोएडा को छोड़कर पूरे पश्चिमांचल को, जिसमें जनपद हापुड़ आता है, को 75 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क छूट की श्रेणी में रखा गया है। उल्लेखनीय है कि यूपीएसआईडीसी के हस्तांतरित भूखण्ड जिन पर प्रथम केता द्वारा स्टाम्प ड्यूटी छूट प्राप्त नहीं की गयी है तो द्वितीय केता का उसका लाभ प्रदान किये जाने के सम्बंध में संयुक्त अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु के पत्रांक 2145, दिनांक 09.3.13 में स्पष्ट उल्लेखित है। उक्त पत्र की छाया प्रति आपके आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्नक :– उपरोक्तानुसार।

उपायुक्त उद्योग
जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र
बुलन्दशहर।

...order should be enclosed ...all rebate related i.e.

Scanned with CamScanner

सेवा में,

महा प्रबंधक,
जिला उद्योग केन्द्र,
जनपद-हाथरस।

महोदय,

कृपया सहायक महा निरीक्षक, कर एवं निबंधन विभाग को प्रेषित एवं अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु को पृष्ठांकित पत्र संख्या-1393-96, दिनांक 28.02.2013 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। पत्र मे अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012 के प्रस्तर-5.1.1 एवं 5.1.2 के प्राविधानों के अंतर्गत जारी कर एवं निबंधन विभाग के आदेश संख्या-79, दिनांक 05.12.2012 द्वारा प्रदत्त स्टैम्प ड्यूटी मे छूट के सम्बन्ध में मार्गदर्शन चाहा गया है।

तत्क्रम में अवगत कराना है कि औद्योगिक एवं सेवा क्षेत्र निवेश नीति-2004 में प्राविधानित प्रस्तर-4.2 के क्रम में कर एवं निबंधन विभाग द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्या-305 एवं 306, दिनांक 19.01.2005 मे क्रियान्वयन हेतु जारी शासनादेश संख्या-1895, दिनांक 10.05.2010 (छाया प्रति संलग्न) में प्रथम लिखत की परिभाषा निम्नवत् अंकित है :-

"पद प्रथम लिखत का तात्पर्य ऐसे उद्यमकर्ता, जो कोई व्यक्ति, निकाय, न्याय कम्पनी हो, द्वारा अपेक्षित समस्त भूखण्डों के अन्तरण के लिए आवश्यक किसी लिखत से है और यदि ऐसे संव्यवहार को पूरा करने के लिए एक से अधिक अन्तरण विलेख समयान्तराल के पश्चात् निष्पादित किया जाता है, तो ऐसे समस्त अन्तरण लिखतों से हैं।"

उपरोक्त से स्पष्ट है कि औद्योगिक एवं सेवा क्षेत्र निवेश नीति-2004 के अंतर्गत प्रथम आवंटी के द्वारा स्टैम्प शुल्क से छूट का लाभ न लिये जाने पर द्वितीय आवंटी को भूखण्ड के आवंटन पर स्टैम्प शुल्क से छूट प्राप्त हो सकती हैं।

अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012 के प्रस्तर-5.1.1 एव 5.1.2 के प्राविधानों के अंतर्गत कर एवं निबंधन अनुभाग-7 के द्वारा जारी शासनादेश संख्या-79, दिनांक 05.12.2012 के कियान्वयन एवं प्रक्रिया निर्धारित किये जाने विषयक शासनादेश प्रक्रियाधीन है।

भवदीय,

(कौशल राज शर्मा)
संयुक्त अधिशासी निदेशक

Scanned with CamScanner

कार्यालय – उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र, बुलन्दशहर।
पन्नीनगर विकास होलीडे होम के पीछे, बुलन्दशहर।
दूरभाष सं0– 05732–235047 Email- gmdicbsr@gmail.com

पत्रांक 6068 / जिउएउप्रोके–बुलशहर / स्टाप छूट / 2017–18 / दिनांक 28-2-2018

क्षेत्रीय प्रबन्धक,
उ0प्र0 राज्य औद्योगिक विकास निगम लि0,
सी–2, चर्तुथतल, महालक्ष्मी माल,
आरडीसी, राजनगर, गाजियाबाद।

कृपया अपने पत्रांक 11081, दिनांक 26.02.2018 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा आपने औद्योगिक क्षेत्र मसूरी गुलावठी रोड के हस्तांतरी को पट्टा निष्पादन हेतु शासनादेश 12.02.18 के पैरा 01 में स्पष्ट उल्लिखित है कि 50 प्रतिशत छूट केवल प्रथम केता को प्रदान की जानी है के सम्बंध में जानकारी चाही गयी है कि यूपीएसआईडीसी के द्वारा हस्तांतरित भूखण्डों पर भी क्या छूट मान्य रहेगी या फिर केवल उक्त छूट यूपीएसआईडीसी के मूल आवंटियों को ही दी जानी है।

शासनादेश संख्या–04 / 2018 / 180 / 94 -स्टा0नि0–2–2018–700(253) / 17, दिनांक 12.02.18 म औ0निवश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2017 के प्रस्तर 3.2.3.4 में जो 50 प्रतिशत छूट का उल्लेख आपके पत्र में किया गया है वह निजी औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने वाले उद्यमियों पर लागू होगा। आपके क्षेत्र से सम्बंधित औ0निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2017 का प्रस्तर 5.1 है जिसमें गाजियाबाद एवं नोएडा को छोड़कर पूरे पश्चिमांचल को, जिसमें जनपद हापुड़ आता है, को 75 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क छूट की श्रेणी में रखा गया है। उल्लेखनीय है कि यूपीएसआईडीसी के हस्तांतरित भूखण्ड जिन पर प्रथम केता द्वारा स्टाम्प ड्यूटी छूट प्राप्त नहीं की गयी है तो द्वितीय केता का उसका लाभ प्रदान किये जाने के सम्बंध में संयुक्त अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु के पत्रांक 2145, दिनांक 09.3.13 में स्पष्ट उल्लेखित है। उक्त पत्र की छाया प्रति आपके आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्नक :– उपरोक्तानुसार।

उपायुक्त उद्योग
जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र
बुलन्दशहर।

order should be enclosed
all rebate related I.I.

Scanned with CamScanner

सेवा में,

महा प्रबंधक,
जिला उद्योग केन्द्र,
जनपद-हाथरस।

महोदय,

कृपया सहायक महा निरीक्षक, कर एवं निबंधन विभाग को प्रेषित एवं अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु को पृष्ठांकित पत्र संख्या-1393-96, दिनांक 28.02.2013 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। पत्र मे अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012 के प्रस्तर-5.1.1 एवं 5.1.2 के प्राविधानों के अंतर्गत जारी कर एवं निबंधन विभाग के आदेश संख्या-79, दिनांक 05.12.2012 द्वारा प्रदत्त स्टैम्प ड्यूटी मे छूट के सम्बन्ध में मार्गदर्शन चाहा गया है।

तत्क्रम में अवगत कराना है कि औद्योगिक एवं सेवा क्षेत्र निवेश नीति-2004 में प्राविधानित प्रस्तर-4.2 के क्रम में कर एवं निबंधन विभाग द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्या-305 एवं 306, दिनांक 19.01.2005 में क्रियान्वयन हेतु जारी शासनादेश संख्या-1895, दिनांक 10.05.2010 (छाया प्रति संलग्न) में प्रथम लिखत की परिभाषा निम्नवत् अंकित है :-

"पद प्रथम लिखत का तात्पर्य ऐसे उद्यमकर्ता, जो कोई व्यक्ति, निकाय, न्याय कम्पनी हो, द्वारा अपेक्षित समस्त भूखण्डों के अन्तरण के लिए आवश्यक किसी लिखत से है और यदि ऐसे संव्यवहार को पूरा करने के लिए एक से अधिक अन्तरण विलेख समयान्तराल के पश्चात् निष्पादित किया जाता है, तो ऐसे समस्त अन्तरण लिखतों से हैं।"

उपरोक्त से स्पष्ट है कि औद्योगिक एवं सेवा क्षेत्र निवेश नीति-2004 के अंतर्गत प्रथम आवंटी के द्वारा स्टैम्प शुल्क से छूट का लाभ न लिये जाने पर द्वितीय आवंटी को भूखण्ड के आवंटन पर स्टैम्प शुल्क से छूट प्राप्त हो सकती हैं।

अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012 के प्रस्तर-5.1.1 एव 5.1.2 के प्राविधानों के अंतर्गत कर एवं निबंधन अनुभाग-7 के द्वारा जारी शासनादेश संख्या-79, दिनांक 05.12.2012 के क्रियान्वयन एवं प्रक्रिया निर्धारित किये जाने विषयक शासनादेश प्रक्रियाधीन है।

भवदीय,

(कौशल राज शर्मा)
संयुक्त अधिशासी निदेशक

Scanned with CamScanner

कार्यालय – उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र, बुलन्दशहर।
पन्नीनगर विकास होलोडे होम के पीछे, बुलन्दशहर।
दूरभाष सं0– 05732–235047 Email- gmdicbsr@gmail.com

पत्रांक 6068 /जिउएउप्रोके–बु0शहर/स्टाप छूट/2017–18/दिनांक: 28-2-2018

क्षेत्रीय प्रबन्धक,
उ0प्र0 राज्य औद्योगिक विकास निगम लि0,
सी–2, चर्तुथतल, महालक्ष्मी माल,
आरडीसी, राजनगर, गाजियाबाद।

कृपया अपने पत्रांक 11081, दिनांक 26.02.2018 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा आपने औद्योगिक क्षेत्र मंसूरी गुलावठी रोड़ के हस्तांतरी को पट्टा निष्पादन हेतु शासनादेश 12.02.18 के पैरा 01 में स्पष्ट उल्लिखित है कि 50 प्रतिशत छूट केवल प्रथम केता को प्रदान की जानी है के सम्बंध में जानकारी चाही गयी है कि यूपीएसआईडीसी के द्वारा हस्तांतरित भूखण्डों पर भी क्या छूट मान्य रहेगी या फिर केवल उक्त छूट यूपीएसआईडीसी के मूल आवंटियों को ही दी जानी है।

शासनादेश संख्या–04/2018/180/94–स्टा0नि0–2–2018–700(253)/17, दिनांक 12.02.18 में औ0निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2017 के प्रस्तर 3.2.3.4 में जो 50 प्रतिशत छूट का उल्लेख आपके पत्र में किया गया है वह निजी औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने वाले उद्यमियों पर लागू होगा। आपके क्षेत्र से सम्बंधित औ0निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2017 का प्रस्तर 5.1 है जिसमें गाजियाबाद एवं नोएडा को छोड़कर पूरे पश्चिमांचल को, जिसमें जनपद हापुड़ आता है, को 75 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क छूट की श्रेणी में रखा गया है। उल्लेखनीय है कि यूपीएसआईडीसी के हस्तांतरित भूखण्ड जिन पर प्रथम केता द्वारा स्टाम्प ड्यूटी छूट प्राप्त नहीं की गयी है तो द्वितीय केता का उसका लाभ प्रदान किये जाने के सम्बंध में संयुक्त अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु के पत्रांक 2145, दिनांक 09.3.13 में स्पष्ट उल्लेखित है। उक्त पत्र की छाया प्रति आपके आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्नक :– उपरोक्तानुसार।

उपायुक्त उद्योग
जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र
बुलन्दशहर।

order should be enclosed
all rebate noted it.

Scanned with CamScanner

सेवा में,

महा प्रबंधक,
जिला उद्योग केन्द्र,
जनपद-हाथरस।

महोदय,

कृपया सहायक महा निरीक्षक, कर एवं निबंधन विभाग को प्रेषित एवं अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु को पृष्ठांकित पत्र संख्या-1393-96, दिनांक 28.02.2013 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। पत्र मे अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012 के प्रस्तर-5.1.1 एवं 5.1.2 के प्राविधानों के अंतर्गत जारी कर एवं निबंधन विभाग के आदेश संख्या-79, दिनांक 05.12.2012 द्वारा प्रदत्त स्टैम्प ड्यूटी मे छूट के सम्बन्ध में मार्गदर्शन चाहा गया है।

तत्क्रम में अवगत कराना है कि औद्योगिक एवं सेवा क्षेत्र निवेश नीति-2004 में प्राविधानित प्रस्तर-4.2 के क्रम में कर एवं निबंधन विभाग द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्या-305 एवं 306, दिनांक 19.01.2005 में क्रियान्वयन हेतु जारी शासनादेश संख्या-1895, दिनांक 10.05.2010 (छाया प्रति संलग्न) में प्रथम लिखत की परिभाषा निम्नवत् अंकित है :-

"पद प्रथम लिखत का तात्पर्य ऐसे उद्यमकर्ता, जो कोई व्यक्ति, निकाय, न्याय कम्पनी हो, द्वारा अपेक्षित समस्त भूखण्डों के अन्तरण के लिए आवश्यक किसी लिखत से है और यदि ऐसे संव्यवहार को पूरा करने के लिए एक से अधिक अन्तरण विलेख समयान्तराल के पश्चात् निष्पादित किया जाता है, तो ऐसे समस्त अन्तरण लिखतों से हैं।"

उपरोक्त से स्पष्ट है कि औद्योगिक एवं सेवा क्षेत्र निवेश नीति-2004 के अंतर्गत प्रथम आवंटी के द्वारा स्टैम्प शुल्क से छूट का लाभ न लिये जाने पर द्वितीय आवंटी को भूखण्ड के आवंटन पर स्टैम्प शुल्क से छूट प्राप्त हो सकती हैं।

अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012 के प्रस्तर-5.1.1 एव 5.1.2 के प्राविधानों के अंतर्गत कर एवं निबंधन अनुभाग-7 के द्वारा जारी शासनादेश संख्या-79, दिनांक 05.12.2012 के क्रियान्वयन एवं प्रक्रिया निर्धारित किये जाने विषयक शासनादेश प्रक्रियाधीन है।

भवदीय,

(कौशल राज शर्मा)
संयुक्त अधिशासी निदेशक

Scanned with CamScanner